रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275721
CG-DL-E-24082026-275721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4477]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948
No. 4477]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4660(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या **का.आ.१०६८(अ) तारीख** २७/०२/२०२६ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी,द्वारा **महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८डी पॅकेज-IV सेक्शन-II आढळगाव से जामखेड के कि.मी.१३२.६०० से कि.मी.१४२.२५० (प्रारंभ आढळगाव से भावडी)** तक के भूखंड मे निर्माण (**चौडाकरण दो लेन पेव्ड शोल्डर /४- लेन का बनाना, आदि**) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन **का.आ.१०६८(अ) तारीख २७/०२/२०२६** में **"लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी)"** और **"दैनिक पुण्यनगरी"** तारीख **१८/०३/२०२६** दोनो में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है,जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८डी पॅकेज-IV सेक्शन-II (आढळगाव से जामखेड) के कि.मी.१३२.६०० से कि.मी.१४२.२५० (प्रारंभ आढळगाव से भावडी) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: श्रीगोंदा					
गांव का नाम: आढलगाव					
1	7	निजी	कृषीक	0.1618	सुभाष सिद्धनाथ जाधव,अनिल सिद्धनाथ जाधव,राजू सिद्धनाथ जाधव,स्वप्नील अनिल जाधव,अजिनाथ आश्रू मिसाळ,घनशाम राजाराम ठवाळ,रोहित सुभाष जाधव 7
			Total	0.1618	

[फा. सं. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4660(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.1068(E) dated 27/02/2026** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening two lane paved shoulder/Four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 548D Package-IV Section-II Adhalgaon to Jamkhed in the stretch of land Km 132.600 to Km 142.250 (Starting from Adhalgaon to Bhavadi) in the District of Ahilyanagar in the state of Maharashtra**.

And whereas the substance of the said notification **S.O.1068(E) dated 27/02/2026,** has been published in "**Lokmat Times (English)**" and "**Dainik Punyanagari (Marathi)**" Both Dated **18/03/2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway No. 548D Package-IV (Section-II) Adhalgaon to Jamkhed in the stretch of land Km 132.600 to Km 142.250 (Starting from Adhalgaon to Bhavadi) in the District of Ahilyanagar in the state of Maharashtra**.**

State: MAHARASHTRA			**District: AHMEDNAGAR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Shrigonda					
Village: Adhalgaon					
1	7	Private	Agriculture	0.1618	Subhas Siddanath Jadhav,Anil Siddanath Jadhav,Raju Siddanath Jadhav,Swapnil Anil Jadhav,Ajinath Aashru Misal,Ghansham Rajaram Thawal,Rohit Subhash Jadhav 7
			Total	**0.1618**	

[F. No. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA